राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड़ अधिकारी

वादपत्र संख्या 23/2025 दायर तारीख 09.04.2025

अनवान्

01. भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. संजय पुत्र भंवरलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.........वादीगण

बनाम

01. मुकेश पुत्र उदयलाल जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. राजमल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुनिल बाकलीवाल – अधिवक्ता वादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/11/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री सुनिल बाकलीवाल वादपत्र **अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण कि अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियां कलां भु.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड होकर खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित आराजीयात का लगान भी प्रार्थीगण ही राज्य सरकार में जमा कराते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 1–3 का उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही होते हुए भी हम प्रार्थीगण की आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि पर विपक्षीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है। उक्त बात की जानकारी प्रार्थीगण को पटवार हल्का बिजौलियों कलां एवं भू.अभिलेख निरिक्षक द्वारा मौके की पत्थरगढ़ी दिनांक 26.06.2024 को करवाई तब पता लगा। प्रार्थीगण की खातेशुदा आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1–3 का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं होते हुए भी उक्त प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी संख्या 1524/198 रकबा 0.2671 हैक्टेयर में से 0.0220 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 मुकेश पिता उदयलाल जाति रेगर निवासी बिजौलियां एवं आराजी नंबर 1529/200 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से 0.0800 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 02 व 03 राजमल पिता घीसीलाल धाकड, रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड निवासी जावदा ने अवैध रूप

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

से कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 – 3 को कब्जा नही करने व कब्जा हटाने की कहा तो विपक्षी संख्या 1 – 3 लडाई झगडे पर आमादा हो गया। उक्त कारण से प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 – 3 के विरूद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। विपक्षी संख्या 1 – 3 को उक्त वादग्रस्त आराजीयात से कब्जा हटाने बाबत् प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा निवेदन किया गया लेकिन विपक्षी संख्या 1 – 3 सदेव लडाई झगडा करने पर आमादा रहता है। उक्त कारण कब्जा हटाने के लिये उक्त प्रार्थनापत्र पेश किये जाने के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई उपचार नही है। इस लिये कब्जा प्राप्ती हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 – 3 को अंतिम बार दिनांक 15.07.2024 को उक्त आराजीयात से कब्जा हटाने हेतु निवेदन किया गया लेकिन विपक्षी संख्या 1 – 3 कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। दिनांक 15.07.2024 से बिनायवाद उत्पन्न हो निरन्तर जारी है।

अतः वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियां कलां भु.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि में से आराजी संख्या 1524/198 रकबा 0.2671 हैक्टेयर में से 0.0220 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 मुकेश पिता उदयलाल जाति रेगर निवासी बिजौलियां एवं आराजी नंबर 1529/200 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से 0.0800 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 02 व 03 राजमल पिता घीसीलाल धाकडए रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड निवासी जावदा पर विपक्षी संख्या 1 – 3 ने अवैध कब्जा कर लिया है उक्त अवैध कब्जे को हटाया जाकर प्रार्थीगण को भूमि सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं0 01 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण सं0 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में PW–1 भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) एवं PW–2 संजय पुत्र भंवरलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

PW–1 भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने अपने बयान में लिखाया कि मुझ प्रार्थीगण कि अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियां कलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाॅ कलां, तहसील बिजौलियों में स्थित आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड होकर खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित आराजीयात का लगान भी प्रार्थीगण ही राज्य सरकार में जमा कराते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 1 – 3 का उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही होते हुए भी हम प्रार्थीगण की आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि पर विपक्षीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है। उक्त बात की जानकारी प्रार्थीगण को पटवार हल्का बिजौलियों कलां एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके की पत्थरगढ़ी दिनांक 26.06.2024 को करवाई तब पता लगा। प्रार्थीगण की खातेशुदा आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 – 3 का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही होते हुए भी उक्त प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी संख्या 1524/198 रकबा 0.2671 हैक्टेयर में से 0.0220 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 मुकेश पिता उदयलाल जाति रेगर निवासी बिजौलियों एवं आराजी नंबर 1529/200 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से 0.0800 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 02 व 03 राजमल पिता घीसीलाल धाकड, रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड निवासी जावदा ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 – 3 को कब्जा नही करने व कब्जा हटाने की कहा तो विपक्षी संख्या 1 – 3 लडाई झगडे पर आमादा हो गया। विपक्षी संख्या 1 – 3 को उक्त वादग्रस्त आराजीयात से कब्जा हटाने बाबत् प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा निवेदन किया गया लेकिन विपक्षी संख्या 1 – 3 सदेव लडाई झगडा करने पर आमादा रहता है। उक्त कारण कब्जा हटाने के लिये उक्त प्रार्थनापत्र पेश किये जाने के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई उपचार नही है। इस लिये कब्जा प्राप्ति

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

तु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियां कलां भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नंबर 1524/198, 529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि में से आराजी संख्या 1524/198 रकबा 0.2671 हैक्टेयर में से 0.0220 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 मुकेश पिता उदयलाल जाति रेगर निवासी बिजौलियां एवं आराजी नंबर 1529/200 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से 0.0800 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 02 व 03 राजमल पिता घीसीलाल धाकड, रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड निवासी जावदा पर विपक्षी संख्या 1 – 3 ने अवैध कब्जा कर लिया है उक्त अवैध कब्जे को हटाया जाकर प्रार्थीगण को भूमि सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। जमाबन्दी प्रदर्श पी1 है मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्श पी2 है, वादपत्र प्रदर्श पी3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

PW–2 संजय पुत्र भंवरलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने अपने बयान में भंवरलाल के कथनों को दोहराया हैं। तथा प्रदर्श में सी से डी पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। साथ में संलग्न मौका पर्चा का अध्ययन किया जिसमें जाहिर होता है कि वादीगण की मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियां कलां स्थित आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि में से आराजी संख्या 1524/198 के 0.0220 हैक्टेयर पर मुकेश पिता उदयलाल रेगर निवासी बिजौलियां एवं आराजी नंबर 1529/200 के 0.0800 हैक्टेयर भूमि राजमल पिता घीसीलाल धाकड, रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी जावदा ने कब्जा कर रखा है। वादीगण ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–: आदेश :–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** कर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री करने के आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियां कलां स्थित आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि में से आराजी संख्या 1524/198 के 0.0220 हैक्टेयर पर मुकेश पिता उदयलाल रेगर निवासी बिजौलियां एवं आराजी नंबर 1529/200 के 0.0800 हैक्टेयर भूमि राजमल पिता घीसीलाल धाकड़, रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी जावदा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक २८ / ११ /2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 23/2025 दायर तारीख 09.04.2025

अनवान्

01. भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. संजय पुत्र भंवरलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

..................डिक्रीदार

बनाम

01. मुकेश पुत्र उदयलाल जाति रेगर निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. राजमल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सुनिल बाकलीवाल – अधिवक्ता वादीगण।

..................मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक : 25/11/2025

डिक्री दिनांक : 25/11/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री सुनिल बाकलीवाल एकपक्षीय को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि **मौजा ग्राम** बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलियां कलां स्थित आराजी नंबर 1524/198, 1529/200 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि में से आराजी संख्या 1524/198 के 0.0220 हैक्टेयर पर मुकेश पिता उदयलाल रेगर निवासी बिजौलियां एवं आराजी नंबर 1529/200 के 0.0800 हैक्टेयर भूमि राजमल पिता घीसीलाल धाकड़, रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी जावदा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। अतः उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

नीज ....Nil..................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् ......
Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २८...... माह ११....... वर्ष 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ